HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 8336/2026
URN: CRLMB / 15189U / 2026

Hassan Abbas S/o Shri Piru Ali, Aged About 40 Years, R/o Badi Masjid Ke Pass Dorai, Ps Ramganj, Ajmer. (At Present Confined At Central Jail Ajmer).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. S.S. Hasan, Sr. Adv. with Mr. Fahad Hasan, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
(Through VC)
Judgment / Order

14/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी एन एस एस की धारा **483** के अन्तर्गत पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**192/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी एन एस** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन परिवादी के बयान होने के उपरांत नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये जाने से खारिज हुआ था, अब परिवादी के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हो चुके हैं, सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है, वर्तमान अभियुक्त की प्रकरण में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.05.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि वास्तविक भू–मालिकों के स्थान पर सह अभियुक्तगण के साथ प्रतिरूपण करते हुए संपत्ति का विक्रय कर परिवादी को नुकसान पहुंचाया। सह अभियुक्त की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार होना बताया गया है। वर्तमान अभियुक्त की दलाल के रूप में भूमिका होना बताया गया है। यद्यपि अभियुक्त का सात आपराधिक प्रकरणों का रिकोर्ड है, लेकिन वह इस मामले में दिनांक 26.05.2026 से अभिरक्षा में है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हसन अब्बास पुत्र पीरू अली** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

20/Murari Lal Sharma/